संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1738 भोपाल, दिनांक 28/9/18

//आदेश//

मानव अधिकार आयोग म.प्र. भोपाल से प्राप्त शिकायत बंदी शोभन उर्फ सोबन सिंह पिता गनेशा बारेला की दिनांक 26.10.2013 को मृत्यु होने तथा प्रकरण में मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा क्रमांक 6493/छतरपुर/13 दिनांक 01.10.2014 के अनुसार डॉ.बी.एस.बाजपेई, मेडिसिन विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय छतरपुर द्वारा बंदी शोभन उर्फ सोबन सिंह पिता गणेशा बारेला का स्वास्थ्य खराब होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजावर से जिला चिकित्सालय छतरपुर उपचार हेतु लाया गया था जिसका हिमोग्लोबिन अत्याधिक कम होने पर डॉ.द्विवेदी द्वारा उसे समुचित उपचार नहीं दिये जाने तथा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

डॉ.व्ही.एस.बाजपई, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय जिला छतरपुर, को मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा के पालन में संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से आरोप पत्र जारी किये गये।

डा.व्ही.एस.वाजपई, मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा प्रतिवाद उत्तर 07.07.2018 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवाद उत्तर पर डॉ.ए.के.द्विवेदी मेडिकल विशेषज्ञ जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल से अभिमत चाहा गया। डॉ.ए.के.द्विवेदी द्वारा दिये गये अभिमत में डॉ.व्ही.एस.बाजपई द्वारा मरीज के इलाज व जांच में लापरवाही बरती जाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में डॉ.व्ही.एस.बाजपई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं उस पर डॉ.ए.के. द्विवेदी, मेडिकल विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल से प्राप्त अभिमत का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत उक्त प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर, संभाग सागर जांचकर्ता अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच प्रकरण में प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

<u>(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)</u>

26/9/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

............2

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. संयुक्त संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छतरपुर।
7. डॉ.व्ही.एस.बाजपई, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय छतरपुर– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतपुर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश डॉ.व्ही.एस.बाजपेई को तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध करावें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश नस्ती।

26/9/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / डीई–2 / 2018 / 1736 भोपाल, दिनांक 28/9/18

/ / आदेश / /

मानव अधिकार आयोग म.प्र. भोपाल से प्राप्त शिकायत बंदी शोभन उर्फ सोबन सिंह पिता गनेशा बारेला की दिनांक 26.10.2013 को मृत्यु होने तथा प्रकरण में मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा क्रमांक 6493 / छतरपुर / 13 दिनांक 01.10.2014 के अनुसार डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजावर जिला छतरपुर द्वारा बंदी शोभन उर्फ सोबन सिंह पिता गणेशा बारेला का स्वास्थ्य खराब होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजावर के उपचार हेतु लाया गया था जिसका हिमोग्लोबिन अत्याधिक कम होने पर डॉ.द्विवेदी द्वारा उसे समुचित उपचार नहीं दिये जाने तथा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

डॉ.प्रदीप कुमार द्विवेदी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजावर जिला छतरपुर, को मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा के पालन में संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से आरोप पत्र जारी किये गये।

डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी, चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिवाद उत्तर 18.06.2018 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवाद उत्तर पर डॉ.ए.के.द्विवेदी, मेडिकल विशेषज्ञ जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल से अभिमत चाहा गया। डॉ.द्विवेदी, मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा दिये गये अभिमत में डॉ.प्रदीप कुमार द्विवेदी द्वारा मरीज के इलाज व जांच में लापरवाही बरती जाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं उस पर मेडिकल विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल से प्राप्त अभिमत का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत उक्त प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर, संभाग सागर जांचकर्ता अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच प्रकरण में प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

<u>(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)</u>

26/9/18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. संयुक्त संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. डॉ.प्रदीप कुमार द्विवेदी, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजावर जिला छतरपुर–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतपुर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश डॉ.प्रदीप कुमार द्विवेदी को तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध करावें।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश नस्ती।

26/9/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1734 / भोपाल, दिनांक 28/09/18

//आदेश//

डॉ.संजीत अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4 /शिका /सेल–5 /फा.नं. 78/बैतूल/2017/892, दिनांक 29.05.2017 के द्वारा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर श्री दिनेशचन्द्र सिंघी सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी को डॉ.संजीत अहिरवार के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला बैतूल।
4. संयुक्त संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
6. श्री दिनेश चन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

................2

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बैतूल।
9. डॉसंजीत अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल। कृपया आदेश की तामीली/पावती उपलब्ध करावें।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश